

संख्या 24/168/2014-पब्लिक  
भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
.....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 30-7-2014

आदेश

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

यतः श्री शंकर लाल के आवेदन दिनांक 03.02.2014, जो दिनांक 04.03.2014 को प्राप्त हुई थी में वर्ष 2014 में समाजसेवा एवं कला के क्षेत्र में पदम श्री प्राप्तकर्ताओं के अनुशंसापत्रों के अनुशंसा पत्र एवं प्रविष्टियों से संबंधित सूचना माँगी थी।

2. यतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को संबंधित सूचना समसंख्यक पत्र दिनांक 11.04.2014 द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी।

3. यतः श्री लाल ने अपने पत्र दिनांक 28.04.2014 (दिनांक 25.06.2014 को प्राप्त) में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील इस आधार पर की है कि उपलब्ध कराई गई प्रत्युत्तर गलत है। उन्होंने अपील की है कि उन्हें समाजसेवा एवं कला के क्षेत्र में वर्ष 2014 के लिए पदम श्री हेतु चयनित लोगों द्वारा भेजी गई प्रविष्टियाँ एवं अनुशंसापत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाए।

4. श्री लाल द्वारा दी गई अपील का अवलोकन किया गया एवं यह पाया गया कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर उचित है। अनुशंसापत्रों में निजी जानकारीयों होती है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 8(1)(ज) तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

5. तदनुसार इस अपील का निस्तारण किया जाता है। इस अपील का निस्तारण कार्य की अधिकता के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (6) के अंतर्गत 30 दिनों के बाद परन्तु 45 दिनों के अन्दर किया जा रहा है।

*सतपाल चौहान*  
(सतपाल चौहान)  
30/7/14  
संयुक्त सचिव (प्रशा0)  
एवं अपीलीय अधिकारी  
दुरभाष: 23093178

श्री शंकर लाल,  
पुत्र श्री लालचंद श्रीवास,  
वार्ड संख्या 1, नदीपुरा,  
बडियाखेडी, तहसील+ जिला-सीहोर,  
मध्यप्रदेश।

प्रतिलिपि:

- अनुभाग अधिकारी(आई टी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

No. A. 43020/01/2014-RTI  
Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs  
\*\*\*\*\*

New Delhi, Dated the 24<sup>th</sup> June, 2014

Subject:- Appeal filed by Shri Shankar Lal under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005.

\*\*\*\*\*

The undersigned is directed to refer to the appeal dated 28/04/2014 under the RTI Act, 2005 filed by Shri Shankar Lal (received in this Ministry on 07/05/2014) in connection with the information sought through his RTI application under the RTI Act, 2005.

2. Since the RTI application of Shri Shankar Lal was earlier dealt with by Public Section of this Ministry, the appeal is forwarded to the concerned Authority for taking appropriate action in the matter.

**Encl: As above**

  
(S. Samanta)

Under Secretary to the Govt. of India

To

Director (A&V) for Public Section,  
Ministry of Home Affairs,  
North Block  
New Delhi.


Copy for information to:-

Shri Shankar Lal,  
Ward o.1, Nadipura,  
Wadiya Khedi,  
Tehsil & District-Sihore  
Madhya Pradesh-466001

Dir (A&V) - on leave  
BSCP  
25/06

  
26/06



  
26/06

First appeal

M. P.

मान. श्री सतपाल चौहान साठ 6/5/14

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

क्रम संख्या 194

नार्थ ब्लॉक - नई दिल्ली

6/5/14  
25/5  
7/5  
05/5/14  
सचिव

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) अन्तर्गत अपील

सन्दर्भ :- ① सूचना अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत मांगी जाणकारी देने से मना करने विषयक श्री श्यामला मोहन निदेशक एवं डे-डीप सूचना अधिकारी का फा 24/168/2014-पब्लिक दिनांक 11/04/2014

② उक्त सन्दर्भित अधिकारी महोदय किन हाल विगत में श्री सूचना देने से मना करने के बाद अपील करने पर सूचना ~~अपलब्ध~~ उपलब्ध करायी जा चुकी है पत्र क्र. 24/77/2012 - पब्लिक दिनांक 8/8/2012 था

महोदय,

उपरोक्ता अनुसार निम्न निवेदन है -

① यह कि उक्त आवेदक द्वारा वर्ष 2014 में समाज सेवा एवं मूर्ति उला के क्षेत्र में "पद्म श्री" पुरस्कार हेतु चयनित लोगों की ~~प्रविष्टि~~ प्रविष्टि एवं अनुशासना पत्रों की प्रतिया मांगी गई थी जिन्हें उक्त सन्दर्भित डे-डीप जन सूचना अधिकारी द्वारा यह कह कर जानकारी देने हेतु उमराह दिया गया है कि अनुशासना पत्रों में व्यक्तित्व जानकारी देने के कारण आपकी उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

Dir (K&V)

② महोदय विचारणीय है कि अनुशासना पत्र में ऐसी बातें  
 सी. व्यक्तिगत जानकारी होती है जो उसे बताया  
 अनुचित तथा गैर जाननी है।

③ महोदय विगत वर्ष भी उक्त अधि सन्निहित  
 अधिकारी महोदय ने जानकारी देने हेतु उक्त  
 लिखित कारण बताते हुए गुमराह मि. को  
 जानकारी देने से मना किया था। तथा  
 अपील करने पर जानकारी उपलब्ध नहीं  
 कराई गई थी।

④ महोदय उक्तबुद्धत रूपका अधिकार अधिनियम  
 2005 अन्तर्गत उक्त आवेदन द्वारा मांगी गई  
 जानकारीका उपलब्ध कराने के निर्देश देने  
 हेतु आपसे कृपया अपीलीय आवेदन प्रस्तुत  
 करना है।

18/04/14

र-परादा

17/05-28/04/2014

महोदय  
 शोध  
 शिबिर लाल

~~सिलेब्र  
 सुलभ सन्धि के उक्त  
 सन्निहित ~~का~~ पत्रों की  
 धारा प्रतिया सिलेब्र है।~~

श्री लाल चंद श्रीवास  
 वार्ड न. 01 नदीपुरा  
 पडियारखेडी  
 तहसील सीधेत (मण्डल)  
 466001

~~18/10/12 08/03/13 27/04/13 10/05/13~~

PLEASE ISSUE  
R&I SECTION

सं. ए-43020/01/2013 आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक : 18-2-2013

कार्यालय सापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री शंकर लाल का आवेदन।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री शंकर लाल के दिनांक 8/2/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक 11/02/2013 को प्राप्त) को प्रतीक्ष-प्रभाग को अग्रोपित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रोपित/अंतरित कर दिया जाये।


2. आवेदक ने 10/- रु का निर्धारित शुल्क दिनांक 1/2/2013 की रसीद सं. ..... के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)। नही किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

सु. सामंत  
(स. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (ए एंड बी)  
गृह मंत्रालय  
नाथ लाल  
नई दिल्ली  
प्रति सूचनार्थ प्रेषित :  
श्री/श्रीमती/सुश्री शंकर लाल  
वाड क्र 01 नदीपुरा  
वाडिया खेडी, तह. जि. सीहोर  
रा. प्र.



(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

1063/RTI/2014  
181214

( सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अन्तर्गत )

1. आवेदन का नाम: शंकर लाल / श्री लाल - पं. श्रीवास
2. पूरा पता/ई-मेल/फ़ैवरा ज़िराफर जानकारी प्रेषित की जाना है वार्ड क्र. 01 नदीपुरा, बडियासेडी, तह. जि. सीधेर (मण्डल)
3. दूरभाष क्रमांक.....
4. आवेदन देने का दिनांक 03. 02. 2014
5. कार्यालय का नाम मान. सचिव महोदय, गृह, भारत सरकार, न. न.
6. चाही गई जानकारी का विवरण: वर्ष 2014 हेतु जिन लोगों को समाज सेवा एवं कला (स्कल्पन) नूतनक हेतु पद्मश्री पुरस्कार हेतु चयन किया गया है उनसे शा. भेजी जाऊँगी एवं अनुसंधान पत्रों की उतियाँ क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रम नमूना
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाले प्रोसेस फी-रुपये..... / - नगद/रकम (बीपीएलसूची के सदस्य को देय नहीं)
- रसीद क्रमांक एवं दिनांक.....
- क्या आवेदन मरीची रेखा के नीचे है अथवा नहीं-हाँ/नहीं
- यदि हाँ तो बीपीएलसूची का अनुक्रमांक 0061 वार्ड क्र. 01

उक्त पत्र धर्म नूतनक हेतु  
हरिताकर आवेदनकर्ता

टिप:- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये का स्टाम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित रकम का पत्रा लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बीपीएलसूची को सदस्य को देय नहीं)

RTI

Ministry of Home Affairs  
New Delhi-1  
11 FEB 2014  
237619

Dir (A&V)  
for Public Section

पायती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक.....
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अधिकतम कार्यवाही हेतु उपदि होने का दिनांक.....
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर  
लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पदनाम (स्वर सहित)

दिनांक

मस  
नूतनक